कार्यालय केन्द्रीय विज्ञापन अनुभाग(मुख्यालय)
कानपुर नगर निगम

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के विज्ञापन पटों को प्रदर्शित करने वाले समस्त विज्ञापन ऐजेन्सियों,भवन स्वामियों व अन्य संस्थानों इत्यादि को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर निगम से अनुज्ञा–प्राप्त विज्ञापन पटों की समयावधि दिनांक– 31 मार्च,2017 को समाप्त हो रही है। अतः आप सभी लोग अपने–अपनें विज्ञापन पट 31 मार्च,2017 की मध्य रात्रि के बाद तत्काल हटा लें, अन्यथा की दशा में नगर निगम स्वयं के संसाधनों से उक्त विज्ञापन पटों को हटा देगा तथा नियमानुसार अर्थदण्ड भी वसूल करेगा ,जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा । उक्त के अतिरिक्त ऐसी समस्त विज्ञापन एजेन्सिया जो वर्ष 2016–17 में नियामनुसार विज्ञापन पटों की अनुज्ञा प्राप्त कर विज्ञापन प्रदर्शित कर रही थी, तथा अपने विज्ञापन पटों की अनुज्ञा वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु नवीनीकृत कराने की इक्छुक हो वे अपनी–अपनी एजेन्सियों के पंजीकरण का विधिवत् नवीनीकरण कराने के उपरान्त सम्बन्धित जोनो में अपने–अपने विज्ञापन पटों की अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक स्थल के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रीमियम शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक व 6 माह का विज्ञापन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य है। (रूफटाप विज्ञापन पटों, यूनीपोल्स,गैन्ट्र,कैन्टीलीवर इत्यादि के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिर्पोट भी संलग्न करना होगा) जिन विज्ञापन एजेन्सियों पर विज्ञापन शुल्क/कर की धनराशि बकाया होगी, उनके आवेदन–पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

विज्ञापन एजेन्सियों के पंजीकरण व उसके द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन पटों की अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु समय सारणी :–

1. विज्ञापन एजेन्सियों के पंजीकरण तथा प्रदर्शित विज्ञापन पटों के अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि–सम्बन्धित जोनो व मुख्यालय स्थित विज्ञापन कर अनुभाग में दिनांक–30.03.2017 तक
2. उपरोक्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जोनो में जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक–31.03.17 तक

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम,कानपुर।

नगर आयुक्त
नगर निगम,कानपुर।